कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0, विद्युत वृत–प्रथम, जयपुर

क्रमांक : दिनांक :

मैसर्स M/s Gaurav Electricals
Jaipur
श्रेणी - E-EWSD-111

विषय :– पंजीकृत संवेदकों का पुनर्विलोकन करने बाबत्।

प्रसंग :– श्रीमान् मुख्य अभियंता सा.नि.विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.3. 15(सी)/Enlistment Rules/अनु–3/डी–2061 दिनांक 16.12.2021 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग द्वितीय अपेण्डिक्स XVI नियम 334 के अनुभाग VII के अन्तर्गत विभाग में पंजीकृत समस्त श्रेणी संवेदकों के पंजीयन का पुनर्विलोकन किया जाना है। जिसके लिए निम्न दस्तावेज/सूचना तीन दिवस में प्रस्तुत करें:–

1. दिनांक 31.03.2018 के पश्चात् इस वृत एवं अन्य वृत स्तर के अन्य खण्ड़ों में आपको आवंटित एवं सम्पादित किये गये कार्यो का विवरण।
2. दिनांक 31.03.2018 के पश्चात् इस वृत एवं अन्य वृत स्तर के अन्य खण्ड़ों में निविदा में भाग लेने का विवरण।
3. आपके जी.एस.टी. पंजीयन एवं क्लीयरेन्स तथा पैन नम्बर की नवीनतम सूचना।
4. पिछले दो वर्षो में इस वृत एवं वृत स्तर या अन्य खण्ड़ स्तर कार्यालय के द्वारा आरोपित वसूली/डीबार यदि कोई हो तो, का विवरण।
5. डिजीटल विद्युत लाईन्सेस की प्रति।

दिनांक 16.01.2022 से उक्त पंजीयन के आधार पर पुनर्विलोकन नहीं करवाये जाने के स्थिति में पंजीयन नियम के अनुच्छेद 7.3.6 के तहत सम्बन्धित फर्म को पुनर्विलोकन नहीं कराये जाने तक निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

भवदीय,

—SD—

(बजरंग सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता,
सा0नि0वि0, विद्युत वृत–प्रथम,
जयपुर ।

क्रमांक: 1340 दिनांक: 03/01/2022

प्रतिलिपि अति. मुख्य अभियन्ता (विद्युत) सा.नि.वि. राज. जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

अधीक्षण अभियन्ता,
सा0नि0वि0, विद्युत वृत–प्रथम,
जयपुर ।